

ऑन लाईन नं. GCMS 2023/131

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री मती रीना, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 56/2023

श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।
बनाम

—खाद्यकारोबारकर्ता व मालिक —

1. श्री रामकृष्ण पुत्र श्री कमल सिंह
मै० कमल पनीर हाउस, तीन पूली के पास, गोविन्द नगर, वार्ड नं. 65, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

दिनांक : 10.01.2025

निर्णय

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हेतराम खाद्य सुरक्षा
अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक:-प.5(01)चि.स्वा./ग्रुप-3/2022 दिनांक 09.03.
2023 के गजट में प्रकाशित हुआ है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन
आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:-आयुक्ता०/ खासुऔनि
/संस्था/2023/900 दिनांक 29.03.2023 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया।
अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.04.2023 को समय दोपहर 1:30 पीएम
बजे को मैसर्स-कमल पनीर हाउस, तीन पूली के पास गोविन्द नगर वार्ड नं. 65
श्रीगंगानगर, जिला-श्रीगंगानगर पर पहुँचे। मोके पर विक्रेता श्री रामकृष्ण पुत्र श्री कमल
सिंह को अपना परिचय दे कर दुकान में डीपफ्रीजर में रखे (मिक्स मिल्क) के बारे में
जानकारी चाही। इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान में
रखे डी फ्रीजर के अन्दर टीन में (मिक्स मिल्क) 13 लीटर को आमजन में बेचान वास्ते
बतया, जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से (मिक्स मिल्क) नमूना जाँच वास्ते लेने
की इच्छा विक्रेता को फॉर्म नं. 5ए भरकर देते हुए वयक्त की मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म
नं. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने
हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को
विक्रय हेतु रखे उपलब्ध (मिक्स मिल्क) 2 लीटर साफ स्टील के बर्तन में विक्रेता से
खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त कयशुदा (मिक्स मिल्क) का नगद
भुगतान 90 रुपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन
के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ
सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर
खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहन को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर
करने को कहा जिसे श्री रामकृष्ण एवं गवाहन ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर



अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री रामकृष्ण को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा (मिक्स मिल्क) 2 लीटर को हिला-मिला कर बराबर भागों में बांटकर 4 साफ-सुथरे सूखे डिब्बों में ले कर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक थ्वतउपसपद की 40 बूंदे डालकर ढक्कन को कसकर बंद किये व 4 डिब्बों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के-1757 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के-1757 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रामकृष्ण एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-L.S./519/Act/2023/519 Dated 18-04-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-1757 Sub-standard Food होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री रामकृष्ण पुत्र श्री कमल सिंह, मैसर्स-कमल पनीर हाउस, तीन पूली के पास गोविन्द नगर वार्ड न. 65 श्रीगंगानगर, जिला-श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर (मिक्स मिल्क) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 14.07.2023 को प्रस्तुत किया गया।



Ger
अति जिला कलक्टर (प्रशा.)
श्रीगंगानगर

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी चक 3 वाई तहसील वा जिला श्री गंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मैसर्स कमल पनीर हाउस दुकान तीन पुली के पास गोविन्द नगर वार्ड नम्बर 65 श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्री गंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 24/869 दिनांक 27-5-2024 का दिया है कि आपकी दुकान मे मिक्स मिल्क की जांच की गई तो मिक्स मिल्क **substandard Food** पाया गया है प्रार्थी ने उक्त मिक्स मिल्क मे सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण स० 56/2023 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।


परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया (मिक्स मिल्क) का सैम्पल **K-1757** जांच रिपोर्ट क्रमांक:- L.S./519/Act/2023/519 Dated 18-04-2023 द्वारा **Sub-standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त मिक्स मिल्क मे सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण स० 56/2023 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Mixed Milk" bearing Code No and Sr. No. K-1757, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।




अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियुक्त श्री रामकृष्ण पुत्र श्री कमल सिंह, मैसर्स-कमल पनीर हाउस, तीन पूली के पास गोविन्द नगर वार्ड न. 65 श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री रामकृष्ण पुत्र श्री कमल सिंह, मैसर्स-कमल पनीर हाउस, तीन पूली के पास गोविन्द नगर वार्ड न. 65 श्रीगंगानगर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रुपये 10,000-00 (अखरे रुपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten Signature)

(रीना)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशा)
श्रीगंगानगर।